किशनगढ़

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RB 497/2019/223 सोहनलाल V/s खिंया (मृतक) 1/1, मदनलाल (फौत) 1/2 - चौथमल वगैरा रेस्पो० 1/1/1 से 1/5 अनुक्रमित

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री प्रदीप बिश्नोई श्री महेन्द्र सिंह चौहान र० २ से ६	
18/12/19	नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर नम्बर पर ली गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। नजरसानीकर्ता राजेन्द्र कटारिया पुत्र बालूराम कटारिया के आवेदन पर नजरसानी स्वीकार की गई थी। हस्तगत अपील में नजरसानीकर्ता श्री राजेन्द्र कटारिया पुत्र बालूराम कटारिया जाति बलाई निवासी कृष्णापुरी, ऊँटड़ा रोड़,मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर को अपीलाधीन भूमि में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण हाजा न्यायालय स्व प्रेरणा से अपीलांट संख्या 02 संयोजित करना उचित समझते है। अतः न्यायहित में उक्त राजेन्द्र कटारिया नजरसानीकर्ता को हस्तगत अपील अपीलार्थी संख्या 02 के रूप में संयोजित किया जाता है। मूल अपील में लाल स्याही से इस आशय का अंकन किया जावे। उभयपक्ष अभिभाषकगण ने कथन किया कि पक्षकारान मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने की संभावना है। आयन्दा तारीख पेशी कल दिनांक 19.12.20119 को ही दी जावें। उभयपक्ष के कथन को स्वीकार करते हुए पत्रावली वास्ते बहस एवं पेश करने राजीनामा दिनांक 19.12.2019 को पेश की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 18/12/19	
19/12/19	पत्रावली पेश। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा राजीनामा मय शपथ-पत्र व पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किया। राजीनामें में उल्लेख किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण क मध्य ग्राम मदनगंज किशनगढ़ अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 662, 663 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री, वाद संख्या 42/1993 दिनांक 26.09.1995 जिसमें खिंया पुत्र घीसा रेगर को खातेदार घोषित किया गया था एवं उसके नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिये गए थे तथा उक्त भूमि पर खिंया पुत्र घीसा रेगर के बाद उनके पश्चात्वर्ती क्रेता काबिज चले आ रहे। इस कारण पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.09.1995 यथावत् रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अपील राजीनामा के अनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष जरिये अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत राजीनामों एवं शपथ पत्र एवं सलंग्न पहचान दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राजीनामा में अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं रहने बाबत उल्लेख किया है तथा अपील को राजीनामा के आधार पर खारिज किये जाने का कथन किया है। **अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे स्वीकार कर राजीनामें के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।** पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। 19/12/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	आदेश 9010 मागीलाल मूल चन्द मूलचन्द मौर्या Dilip Identified by me महेन्द्र सिंह चौहान 19/12/19 सोहनलाल Identified 19/12/19